HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2635/2026

Vishram S/o Kailash Chand, Aged About 22 Years, R/o Padak Chhapli, Police Station Pratapgarh, District Alwar, Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail Alwar, District Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devendra Kumar Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 184/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 318(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त रवि को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा प्रार्थी का मामला सहअभियुक्त रवि से भिन्न नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के खाते में तो कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी दिनांक 28.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी 22 साल का नवयुवक है तथा भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर फर्जी लिंक बनाकर ऑनलाईन ठगी करते हुए लोगों के खातों से राशि निकालने का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त ने सहअभियुक्त रवि का बैंक खाता खरीदकर एक से अधिक बार ऑनलाईन धोखाधड़ी करते हुए राशि प्राप्त की है। प्रार्थी के विरूद्ध साईबर पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज है। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 112(2), 318(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा फर्जी लिंक भेजकर लोगों से ऑनलाईन ठगी कारित कर ठगी की राशि सहअभियुक्त रवि से बैंक खाता खरीदकर उसमें प्राप्त की। अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा फर्जी लिंक भेजकर लोगों के साथ एक से अधिक बार ऑनलाईन/साईबर ठगी कारित की गई है, जिसके संबंध में पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त ठगी की राशि सहअभियुक्त रवि मीणा व अन्य से कमीशन पर बैंक खाता लेकर उसमें प्राप्त की गई है, जो राशि बाद में रवि मीणा अपना कमिशन काटकर प्रार्थी–अभियुक्त के खाते में डाल देता था। अन्वेषण के दौरान बैंक खाता विवरण प्राप्त किया गया है, जिनमें ठगी की राशि प्राप्त होना प्रकट हुआ है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों से ऑनलाईन ठगी कारित कर राशि प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /70